

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1107 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Manoj Tyagi & Ors

...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

....Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit Of District Magistrate Pilibhit in compliance of order dated 14.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	ANNEXURE R-1 Copy of order dated 14.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
3.	ANNEXURE R-2 Copy of Office Order Dated 28.11.2024	
4.	ANNEXURE R-3(Colly) A copy of No Objection Certificate issued by Director Forest and Wildlife Division and copy of order dated 27.02.2024 passed by the Hon'ble High Court of Judicature At Allahabad	
5.	ANNEXURE R-4 Copy of the Inspection Report Dated 30.11.2024	

Ankit Verma

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)**STANDING COUNSEL STATE OF UP****A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013****MOB: - 0999080440 Email-ankit.scngtup@gmail.com**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1107 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Manoj Tyagi & Ors

.Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

...Respondent(s)

**AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE PILIBHIT IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 14.11.2024 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Sanjay Kumar Singh aged about 56 years, S/o Dr. Ram Lal Singh presently posted as District Magistrate District Pilibhit, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

That I am above mentioned authorized officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

1. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application which are not specifically admitted

Q

hereunder must be considered to have been denied by the Deponent

2. That the deponent is posted as District Magistrate Pilibhit since 01st February 2024.
3. That this Hon'ble Tribunal in vide order dated 14.11.2024 was pleased to pass the following directions:

"4.....We accordingly, constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Pilibhit and Uttar Pradesh State Pollution Control Board. 5. District Magistrate, Pilibhit shall be the Nodal Authority for coordination and compliance of this order. 6. Above Committee shall collect relevant information, visit the site, and also verify the status of we ponds from record mentioning its area no. etc., and submit a factual report within one month....." A copy of order dated 14.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**

4. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 14.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.
5. That the present Original Application, has been registered on basis of letter received from Mr Manoj Tyagi & Ors who have raised allegations about illegal cutting of trees and encroachment on ponds in different Tehsils of District Pilibhit.

6. That in compliance of order dated 14.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent vide his office order no. 1097/OA No.1107/2024 dated 28.11.2024 constituted a joint committee, comprising of officials of District Administration Pilibhit and directed them to ascertain the allegations raised by the applicants and submit a compliance report within one week. A copy of office order no.1097/OA No.1107/2024 dated 28.11.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2**
7. That the joint committee comprising of City Magistrate Pilibhit, Sub Divisional Magistrate Sadar, Divisional Forest Officer Pilibhit and Regional Officer/Assistant Environment Engineer Pollution Control Board Bareilly inspected the alleged areas on 30.11.2024 which have been raised in the instant Original Application.
8. That the aforesaid joint committee inspected village Desh Nagar Ander Chungi, Gata no. 1202/3/1 admeasuring 1.532 hectare, which is private land. During the time of inspection on 30.11.2024 the alleged land was found to be vacant. It was further observed that the alleged old grafted green mango trees (42 in number) were cut/felled after obtaining NOC by Director, Forest and Wildlife Division, Pilibhit. The alleged incident occurred in December 2023. Acting upon the complaints received from the general public, the District Administration the inspected the alleged land on 20.12.2023 and found that the trees were already cut/felled. At the time, the co-owner person Nasrin B did not show permission for transportation of wood, due to which, the District Administration prohibited the co-owner from lifting the trees. The co- owner of Gata No. 1202/3/1 Nasrin B filed a Civil Miscellaneous Writ Petition No. 485/2024 (WRIT-C)

Nasrin B vs. State of Uttar Pradesh and others before the Hon'ble High Court, Allahabad, against the said prohibition, wherein the Hon'ble High Court vide order dated 27.02.2024 disposed of the aforesaid Writ Petition observing "**Learned Standing Counsel states that no impediment has been created by the State-respondents to restrain the petitioner from felling 42 old (grafted) mango trees**". A copy of No Objection Certificate issued by Director Forest and Wildlife Division and copy of order dated 27.02.2024 passed by the Hon'ble High Court is annexed herewith and marked as **Annexure R-3(Colly)**

9. That it is further submitted that the committee also inspected the two ponds against which allegations have been raised in the instant Original Application situated at Gram Mudia Panai urf Sungari, Ander Chungi situated at Gata no. 148 admeasuring area of 1.007 hectare and other pond at Gram Desh Nagar Ander Chungi situated at Gata No 1282/1 admeasuring area of 0.975 hectare in Tehsil District Pilibhit. During inspection it was observed that the ponds are not encroached by land mafias. The natural stream of pond was flowing and the nature of pond was not disturbed and was same as per the available revenue records.

10. That the inspection report dated 30.11.2024 submitted by the joint committee to the deponent is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.**

11. That the deponent undertakes before this Hon'ble Tribunal that the orders passed by this Hon'ble Tribunal will be complied in letter and spirit and will further ensure

that the ponds in District Pilibhit are not encroached upon and the Environmental norms are duly followed

AD

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this day of ¹⁰th Dec. , 2024.

AD

DEPONENT

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1107 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Manoj Tyagi & Ors

....Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

....Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, Sanjay Kumar Singh S/o Dr. Ram Lal Singh aged about 56 years presently posted as District Magistrate Pilibhit, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under-

1. That I am fully acquainted with the facts and circumstances and records of the case and thus competent to swear the present affidavit.

2. That the contents of the accompanying reply have been prepared under my instructions and have been understood by me and I declare the same to be true and correct to my knowledge of facts and law.

3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

Verification

It is verified at Pilibhit on 19th December 2024 that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed there from.

DEPONENT

Sanjay Kumar Singh s/o Dr. Ram Lal Singh.

Subscribed by Sri Harshwardhan Pandey.
I, the undersigned, being a Magistrate of the District of Pilibhit, do hereby certify that the contents of the above affidavit have been explained to the deponent and the deponent has been made to understand the contents of the same and that the contents are true and correct to the best of his knowledge and belief.

This affidavit verified by me on 10/12/24

[Signature]
D. K. C.

[Signature]
10/12/24



ANNEXURE- R-1

Item No.01

Court No. 2

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1107/2024

Manoj Tyagi and Ors.

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent(s)

Date of hearing: 14.11.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: None

ORDER

1. Manoj Tyagi, Suresh Kumar, Ramesh Gangwar, Anita Singh, Mahesh Sharma and Hari Agrwal residents of Nehru Park, Civil Lines, Pilibheet have sent a letter petition dated 29.01.2024 complaining about illegal cutting of trees and encroachment on pond and this letter petition has been registered as Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **NGT Act, 2010**) in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in *Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and Others, (2022) 13 SCC 401*.

2. Complainants have pointed out three incidents at different places in Tehsil and District Pilibhit wherein above illegal activities have been carried out one is related to village Deshnagar inside Municipal Chungi in front of Nehru Park which is a Government Guest House Civil Lines wherein at Gata No.1202/3/1, Area 1.532 hectare, there was a green belt and some miscreants have cut illegally green trees thereat; second incident is related to Gohania croissant whereat there is a pond which has been filled in for plotting and construction purposes; and third incident relates to road going from Theka Choki to Nehru Park near Sanjay Nagar Colony where also there is a pond entered in revenue records as such but same has been filled in by land Mafias and illegal plotting has been done. It is contended that these activities are causing damage to environment and in violation of environment laws.

3. In our view, substantial question relating to environment has arisen out of implementation of enactments mentioned in Schedule I of NGT, Act 2010 but before taking any further action in the matter we find it appropriate to verify the facts.

4. We accordingly, constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Pilibhit and Uttar Pradesh State Pollution Control Board.

5. District Magistrate, Pilibhit shall be the Nodal Authority for co-ordination and compliance of this order.

6. Above Committee shall collect relevant information, visit the site, and also verify the status of the ponds from record mentioning its area no. etc., and submit a factual report within one month.

7. List for further hearing on 16.12.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 14, 2024
Original Application No. 1107/2024
M

ANNEXURE - R-2कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांक 1097/0A No. 1107/2024

आदेश

दिनांक 28.11.2024

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 1107/2024 "मनोज त्यागी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति में निम्न सदस्यों को गठित किया जाता है-


क्रम सं0	सम्बन्धित विभाग/अधिकारी	पदनाम
1	नगर,मजिस्ट्रेट पीलीभीत।	नोडल अधिकारी।
2	उप जिलाधिकारी, सदर, पीलीभीत।	सदस्य
3	उप प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत।	सदस्य
4	क्षेत्रीय अधिकारी/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।	सदस्य

उक्त संयुक्त समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 1107/2024 "मनोज त्यागी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 के सम्बन्ध में (स्थल का निरीक्षण, सूचनाओं का समाकलन स्थल पर शिकायत की स्थिति के साथ) प्रभावी कार्यवाही करते हुये Action taken report/Compliance Report 01 सप्ताह के अंदर अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


जिलाधिकारी
पीलीभीत

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पीलीभीत।
2. उप जिलाधिकारी, सदर, पीलीभीत।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।
5. प्रभागीय निदेशक, वन एव वन्य जीव प्रभाग, पीलीभीत।


जिलाधिकारी
पीलीभीत

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत
पत्रांक- 99/वि.प्र/37-15, पीलीभीत, दिनांक 06/12/2023

सेवा में,

श्रीमती नसरिन बी पत्नी श्री अशरफ नूर,
निवासी-मोहल्ला-मोहम्मद यासिल,
तहसील व जिला-पीलीभीत।

विषय :- कलमी आम की पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

श्रीमती नसरिन बी पत्नी श्री अशरफ नूर, निवासी-मोहल्ला मोहम्मद यासिल, तहसील व जिला-पीलीभीत के ग्राम-देशनगर अन्दर चुंगी, तहसील व जिला-पीलीभीत के निजी भूमि गाटा सं०-1202/3/1 रकबा-1.532 में खड़े आम प्रजाति के 48 (अड़तालीस) अद्द वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय से अनुमति चाही है। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-1688/37-15 दिनांक-02.12.2023 द्वारा वृक्षों की प्रजाति के पुष्टि हेतु जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत से आख्या माही गयी। जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत द्वारा अपने पत्रांक-942/आ०वृ०पा०/2023-24 दिनांक-06.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक अंश माग में खड़े आवेदित 48 (अड़तालीस) आम वृक्ष कलमी प्रजाति के हैं।

चूँकि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 लखनऊ की शासनादेश सं०-24/81-5-2020-07-93 दिनांक-07.01.2020 के प्रावधान के अनुसार आम की कलमी प्रजाति के कटान हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।


(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव प्रभाग/पीलीभीत

पत्रांक-99/वि.प्र/37-15, तददिनांकित।


प्रतिलिपि-1-उप जिलाधिकारी, पीलीभीत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-2-उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-3-थानाध्यक्ष, कोतवाली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-4-क्षेत्रीय वनाधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

012


(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव प्रभाग/पीलीभीत

Neutral Citation No. - 2024:AHC:34397-DB

Court No. - 39

Case :- WRIT - C No. - 485 of 2024

Petitioner :- Nasrin B

Respondent :- State Of Up And 5 Other

Counsel for Petitioner :- Suneel Kumar

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Saumitra Dayal Singh, J.

Hon'ble Surendra Singh-I, J.

1. Upon written instructions received from respondent nos. 2 and 3, Shri Mukul Tripathi, learned Standing Counsel states that no impediment has been created by the State-respondents to restrain the petitioner from selling 42 old (grafted) mango trees.

2. In view of such statement made, the writ petition is **disposed of** in terms thereof.

Order Date :- 27.2.2024

SA

Authenticated Copy

Ashutosh
25.07.2024

Section Officer

Computerized Copying Centre
High Court Lucknow Bench
Lucknow

(Surendra Singh-I, J.)

(S.D. Singh, J.)


ANNEXURE - R-4


जिलाधिकारी,
पीलीभीत।


महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक: 1097/ओ0ए0नं0- 1107/2024 दिनांक 28.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-1107/2024 " मनोज त्यागी व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 के अनुपालन में आपके द्वारा गठित संयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 30.11.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।


स्थलीय निरीक्षण उपरांत संयुक्त समिति की आख्या संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।


क्षेत्रीय अधिकारी/
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।


उप-प्रभोगीय वनाधिकारी
पीलीभीत।


(महिपाल सिंह)
उप जिलाधिकारी,
सदर, पीलीभीत।


(विजय वर्धन तोमर)
नगर मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।


30.11.24
जिला मजिस्ट्रेट
पीलीभीत

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं०-1107/2024 " मनोज त्यागी व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी०" में पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा गठित संयुक्त समिति की स्थल निरीक्षणोपरांत वांछित बिन्दुओं पर संयुक्त समिति की आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं०-1107/2024 "मनोज त्यागी व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी०" में पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को नोडल अधिकारी नामित करते हुये निम्नानुसार जॉच कमेटी का गठन किया गया:-

क्र०सं०	सम्बंधित विभाग/अधिकारी	पदनाम
1	नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।	नोडल अधिकारी
2	उप जिलाधिकारी, सदर, पीलीभीत।	सदस्य
3	उप प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत।	सदस्य
4	क्षेत्रीय अधिकारी/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।	सदस्य

संयुक्त समिति द्वारा अपीलार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या हेतु दिनांक 30.11.2024 को सम्बंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत समिति की आख्या बिन्दुवार निम्नवत है:-

बिन्दु संख्या 1:- ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी, नेहरू पार्क के सामने, सहकारी अतिथि गृह रोड, सिविल लाइन्स, तह० व जिला पीलीभीत में स्थित गाटा सं० 1202/3/1 रकवा 1.532 हे० हरित बाग का कुछ हिस्सा उपरोक्त माफियाओं व लकड़कटों की दहशत व मिलीभगत से काट दिया गया। जिसमें बचा हिस्सा कालोनी बसाने हेतु, काटने को प्रयासरत हैं।



आख्या:-


- समिति के सदस्यों को राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी, पर० तह० व जिला पीलीभीत में स्थित गाटा सं० 1202/3/1 रकवा 1.532 हे० पर कमर नूर पुत्र असगर नूर, शाहरूख नूर व सलमान नूर पुत्रगण अशरफ नूर एवं नसरीन बी पत्नी श्री अशरफ नूर व राहिल नूर पुत्र जाहिल नूर व श्रीमती फिरदौसी बेगम पत्नी जाहिल नूर व जाकिर नूर पुत्र हयात नूर निवासीगण मो० मोहम्मद वासिल पीलीभीत व अखिलेश कुमार सक्सेना पुत्र श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना व श्रीमती श्यामलता पत्नी श्री मनोज कुमार मिश्रा व श्रीमती ऋचा मिश्रा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा के नाम बतौर श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। (संलग्नक-1)
- समिति के सदस्यों को वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त गाटे पर खड़े हरे-भरे आम के वृक्षों के पातन के सम्बंध में दिनांक 20.12.2023 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थलीय अभिलेखीय जॉच की गयी। जॉच में पाया गया कि कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत द्वारा दिनांक 06.12.2023 को कलमी प्रजाति के खड़े आम के 48 पेड़ों को पातन के सम्बंध में अनापत्ति प्रदान की गयी थी। (संलग्नक-2)
- प्रश्नगत गाटा पीलीभीत महायोजना-2031 में बाग के रूप में दर्ज है। (संलग्नक-3)

[Handwritten signatures and initials]

पेज 2 पर.....

4. कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत द्वारा जो अनापत्ति प्रदान की गयी थी, उस समय राजस्व विभाग/विनियमित क्षेत्र पीलीभीत से अनुमति हेतु अनापत्ति/स्वामित्व के सम्बंध में आख्या नहीं ली गयी थी। तत्समय सहखातेदार नसरीन बी द्वारा प्रकाष्ठ का अभिवाहन की अनुमति नहीं दिखायी गयी थी जिस कारण तत्समय वृक्षों को उठान के सम्बंध में यथास्थिति रखने हेतु निर्देशित किया गया था।
5. तदोपरांत गाटा सं० 1202/3/1 के सहखातेदार नसरीन बी द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका 485/2024 नसरीन बी बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.02.2024 के क्रम में खातेदारों द्वारा वृक्षों के उठान की कार्यवाही की गयी।(संलग्नक-4)
6. वर्तमान में प्रश्नगत गाटा 1202/3/1 रकवा 1.532 हे० मौके पर खाली पड़ा है।
7. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत हरित कलमी आम के बाग को कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत की अनापत्ति के उपरांत काटा गया/पातन किया गया एवं वृक्षों के उठान के सम्बंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।

बिन्दु संख्या 2:- एक अन्य बड़ा तालाब जो गौहनियां चौराहे पर स्थित है, जिस पर भूमाफियों द्वारा तालाब रोज रात को पाटकर एक-एक प्लॉट का रूप देकर मकान व कार्मिशयल प्रतिष्ठान स्थापित किये जा रहे हैं।



आख्या:-

1. संयुक्त समिति के सदस्यों को राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम मुड़िया पनई उर्फ सुनगढ़ी अन्दर चुंगी, पर० तह० व जिला पीलीभीत की नान जेड ए० खतौनी में अंकित नाम मालिकान मिलकियत सरकार जेरे इन्तेजाम नगरपालिका परिषद, पीलीभीत श्रेणी-15 आकृषिक भूमि (1) जलमग्न भूमि की खाता सं० 79 पर स्थित गाटा सं० 148 रकवा 1.007 हे० बतौर तालाब दर्ज अभिलेख है। (संलग्नक-5)
2. स्थल पर तालाब की भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। प्रश्नगत तालाब मौके पर तालाब के स्वरूप में है, जिसकी पुष्टि मौके पर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा की गयी।
3. शिकायत में उल्लेखित है कि तालाब रोज रात को पाटकर एक-एक प्लॉट का रूप देकर मकान व कार्मिशयल प्रतिष्ठान स्थापित किया जा रहा है, यह कथन सत्य नहीं है, जिसकी पुष्टि मौके पर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा की गयी।
4. सरकारी भूमि/तालाब पर कोई भी मकान व दुकान/कार्मिशयल प्रतिष्ठान स्थापित नहीं है, जिसकी पुष्टि मौके पर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा की गयी।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(3)

बिन्दु संख्या 3:- ठेका चौकी से नेहरू पार्क मार्ग पर, संजय नगर कालोनी के बराबर, दशकों से एक बड़ा तालाब राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जिस पर भूमाफियाओं द्वारा मिट्टी डालकर पटाव किया जा रहा है एवं बाउन्ड्री बनाकर अवैध प्लॉट बनाये जा रहे हैं। उक्त तालाब काफी बड़े क्षेत्रफल में दर्ज है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पटटे पर दिया गया है। वर्तमान पटटाधारक प्रलोभन में भूमाफियाओं के साथ सरकारी तालाब के बीच में मिट्टी डलवाकर, मूल स्वरूप बिगाड़ते हुये, स्थानीय अवैध कालोनी के प्लॉटों हेतु अवैध कच्चा रास्ता निकलवा रहे हैं।



आख्या:-

1. संयुक्त समिति के सदस्यों को राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी, पर० तह० व जिला पीलीभीत में स्थित गाटा सं० 1282/1 रकवा 0.975 हे० बतौर श्रेणी-6(1) जलमग्न भूमि तालाब दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त गाटा सं० 1282/1 रकवा 0.975 हे० पूर्व में श्रेणी-3 आसामी पटटेदारों के नाम दर्ज अभिलेख था। (संलग्नक-6)
2. संयुक्त समिति के सदस्यों को राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त गाटे को मा० न्यायालय, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा खातेदारों का नाम निरस्त करते हुये पूर्व श्रेणी-6(1) तालाब में दर्ज कर दिया गया। (संलग्नक-7)
3. संयुक्त समिति के सदस्यों को राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त गाटे पर पटटेदार की झोपड़ी पड़ी हुई थी, जिसको दिनांक 14.10.2024 को हटवाकर नगरपालिका परिषद, पीलीभीत को सुपुर्द कर दिया गया था।
4. संयुक्त समिति के सदस्यों को राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत में उल्लेखित है कि तालाब को पाटकर बीच से रास्ता बनाया जा रहा है। उक्त प्रश्नगत रास्ता तालाब के किनारे से गुजरता है, जिसकी गाटा सं० 1317/3 है। उक्त गाटा सं० 1317/3 रकवा 0.502 हे० नान जेड ए० खतौनी नाम मालिकान साहू रामेश्वर नाथ आदि श्रेणी-15(2) आवादी स्थल रेलवे सड़क आदि की खाता सं० 9 पर बतौर रास्ता दर्ज अभिलेख है। (संलग्नक-8)
5. तालाब के गाटा सं० 1282/1, जो संजय नगर कालोनी के पास है, के बीच से कोई भी रास्ता पटान करके नहीं निकाला गया है।
6. वर्तमान में मौके पर प्रश्नगत तालाब गाटा सं० 1282/1 रकवा 0.975 हे० तालाब के स्वरूप में स्थित है। तालाब की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जिसकी पुष्टि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा की गयी।

उपरोक्त आख्या मा० अधिकरण के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।

क्षेत्रीय अधिकारी/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
पीलीभीत।

(महिपाल सिंह)
उप जिलाधिकारी,
सदर, पीलीभीत।

(विजय वर्धन तोमर)
नगर मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।